



2008-2009

के संबंध में

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

(रेलवे को छोड़कर)

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS

for

EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(Excluding Railways)

RELATING TO

2008-2009

संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(ख) के अनुसरण में लोकसभा में प्रस्तुत

Presented to the Lok Sabha in pursuance of clause (1) (b) of Article 115 of the Constitution

[राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगों को प्रस्तुत करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115

के खण्ड (1)(ख) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के

अधीन आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है।

[The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(b) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained]

नवम्बर/November, 2010

परिचायक टिप्पणियां

इस खण्ड में निहित अनुदानों की अतिरिक्त मांगें कतिपय मांगों के तहत जिनमें संसद द्वारा उस वर्ष के लिए अनुमोदित धनराशि से अधिक व्यय हुआ, वर्ष 2008-09 के दौरान वास्तविक व्यय को दर्शाती है।

2. वर्ष 2008-09 में 100 अनुदानों और 5 विनियोगों में से 6 अनुदानों के तहत जिनके लिए कुल ₹1,012.82 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी, राजस्व भाग के तहत अधिक व्यय हुआ।

3. संबंधित मांगों के अधिक व्यय के कारणों का ब्यौरा इस पुस्तिका में निहित अधिक व्यय के लिए मांग विवरणियों में दिया गया है।

4. उपर्युक्त अधिक व्यय की सरकारी लेखा समिति द्वारा जांच की गई है जिन्होंने अपनी बाईसवीं रिपोर्ट के भाग -1 (पन्द्रहवीं लोक सभा) के पैरा 14 के साथ पठित पैरा 15 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 115(1) (ख) के अधीन इनको नियमित किए जाने की सिफारिश की है।

INTRODUCTORY NOTES

The Demands for Excess Grants contained in this Volume represent the actual expenditure incurred during 2008-2009 under certain Demands which are in excess of the amounts granted by the Parliament for that year.

2. Out of 100 Grants and 5 Appropriations in 2008-2009, the excess expenditure occurred in 6 Grants amounting to a total of ₹1,012.82 crore under Revenue Section.

3. The reasons for excess expenditure in respective demands have been explained in the Excess Demand Statements contained in this booklet.

4. The above excess have been scrutinised by the Public Accounts Committee, who, vide paragraph 15 read with paragraph 14 of Part - I of their Twenty-Second Report (Fifteenth Lok Sabha), have recommended their regularisation under Article 115 (1) (b) of the Constitution of India.

वर्ष 2008-2009 के दौरान संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों से हुए अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the expenditure incurred in excess of the Grants Voted
made by Parliament during 2008-2009

क्रम सं.	अनुदान की संख्या और शीर्षक	Sr. No.	No. & Title of Grant		अंतिम अनुदान Final Grant रुपए ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure रुपए ₹	अतिरिक्त व्यय Excess Expenditure रुपए ₹	पृष्ठों का संदर्भ Ref. to pages
I.	राजस्व से पूरा किया गया व्यय	I.	EXPENDITURE MET FROM REVENUE					
19	रक्षा मंत्रालय	स्वीकृत	19 Ministry of Defence	Voted:	8363,22,00,000	8390,71,86,122	27,49,86,122	1
20	रक्षा पेंशन	स्वीकृत	20 Defence Pensions	Voted:	20232,95,00,000	20233,08,32,985	13,32,985	2
23	रक्षा सेवाएं- वायु सेना	स्वीकृत	23 Defence Services - Air Force	Voted:	12632,21,00,000	13242,57,59,389	610,36,59,389	3
24	रक्षा आयुद्ध कारखाने	स्वीकृत	24 Defence Ordnance Factories	Voted:	2824,75,00,000	2956,99,87,268	132,24,87,268	4
39	पेंशन	स्वीकृत	39 Pensions	Voted:	10565,93,00,000	10729,11,09,424	163,18,09,424	5
54	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	स्वीकृत	54 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	Voted:	1437,58,00,000	1516,97,22,929	79,39,22,929	6
कुल जोड़			GRAND TOTAL		56056,64,00,000	57069,45,98,117	1012,81,98,117	
		भारित		Charged:	
		स्वीकृत		Voted:	56056,64,00,000	57069,45,98,117	1012,81,98,117	

मांग संख्या DEMAND NO. 19

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा मंत्रालय के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुदानों से अधिक व्यय की गई धनराशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2009, in respect of the **MINISTRY OF DEFENCE** under **MINISTRY OF DEFENCE**.

भारित : सत्ताईस करोड़ उनचास लाख छियासी हजार एक सौ बाइस रूपए।

Voted: Twenty-seven crore forty-nine lakh eighty-six thousand one hundred twenty two rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान Final Grant रुपए ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure रुपए ₹	अतिरिक्त व्यय Excess रुपए ₹
राजस्व Revenue			
स्वीकृत Voted :	8363,22,00,000	8390,71,86,122	27,49,86,122

7756,97,00,000 रूपए के मूल अनुदान को अक्टूबर 2008 में प्राप्त 354,39,00,000 रूपए और फरवरी, 2009 में प्राप्त 251,86,00,000 रूपए के पूरक अनुदान द्वारा बढ़ाया गया। 8363,22,00,000 रूपए के अन्तिम अनुदान की तुलना में वास्तविक व्यय 8390,71,86,122 रूपए रहा, परिणामस्वरूप, 27,49,86,122 रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसे नियमित किए जाने का आवश्यकता है। यह अतिरिक्त व्यय छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन; जहाजों की वर्धित तैनाती की प्रचालना आवश्यकता; तटीय सुरक्षा संगठन (सीजीओ) द्वारा 2007-08 के दौरान किए गए व्यय का पिछला स्टॉक; और जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेन्ट्री द्वारा केरोसीन पीओएल, प्रावधानों आदि के कारण बुकिंग की उच्च प्रवृत्ति के कारण हुआ। 27,49,86,122 रूपए का अतिरिक्त व्यय 105,28,01,122 रूपए के कुल अतिरिक्त व्यय में से अनुदान के विभिन्न उपशीर्षों के तहत 77,78,15,000 रूपए की कुल बचत को घटाकर निवल प्रभाव था।

The original grant of ₹7756,97,00,000 was augmented by a supplementary grant of ₹ 354,39,00,000 obtained in October, 2008 and ₹ 251,86,00,000 obtained in February, 2009. Against the final grant of ₹ 8363,22,00,000 the actual expenditure was ₹ 8390,71,86,122 resulting in an excess expenditure of ₹27,49,86,122 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations; operational requirement of enhanced deployment of ships; spill-over of expenditure incurred during 2007-2008 by Coast Guard Organisation (CGO); and higher trend of bookings due to increase in rate of Kerosene, POL, Provisions, etc. by Jammu & Kashmir Light Infantry (JAKLI). The excess of ₹ 27,49,86,122 was the net effect of total excess of ₹ 105,28,01,122 less total savings of ₹ 77,78,15,000 under various sub heads of the Grant.

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा पेंशन के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई धनराशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2009, in respect of the **DEFENCE PENSIONS** under **MINISTRY OF DEFENCE**.

स्वीकृत: तेरह लाख बत्तीस हजार नौ सौ पिचासी रुपए।

Voted: Thirteen lakh thirty-two thousand nine hundred eighty five rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान Final Grant रुपए ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure रुपए ₹	अतिरिक्त व्यय Excess रुपए ₹
राजस्व Revenue			
स्वीकृत Voted :	20232,95,00,000	20233,08,32,985	13,32,985

15563,75,00,000 रुपए के मूल अनुदान को अक्टूबर 2008 में प्राप्त 1941,00,00,000 रुपए और दिसम्बर, 2008 में प्राप्त 2728,20,00,000 रुपए के पूरक अनुदान द्वारा बढ़ाया गया। 20232,95,00,000 रुपए के अन्तिम अनुदान की तुलना में वास्तविक व्यय 20233,08,32,985 रुपए रहा जिसके परिणामस्वरूप 13,32,985 रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसे नियमित किए जाने का आवश्यकता है। यह अतिरिक्त व्यय छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर संशोधित पेंशन की उच्च दर; पेंशन बकाया भुगतान; और अनुमान से अधिक अर्जित अवकाश क्रेडिट शेष में बढ़ोतरी के कारण हुआ।

The original grant of ₹15563,75,00,000 was augmented by a supplementary grant of ₹1941,00,00,000 obtained in October, 2008 and ₹2728,20,00,000 obtained in December, 2008. Against the final grant of ₹ 20232,95,00,000 the actual expenditure was ₹20233,08,32,985 resulting in an excess expenditure of ₹13,32,985 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to revision of Pension at higher rate on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations; payment of arrears of Pension; and the increase in the balance of Earned Leave at credit than assessed.

मांग संख्या DEMAND NO. 23

रक्षा सेवाएं - वायु सेना

DEFENCE SERVICES - AIR FORCE

रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा सेवाएं - वायु सेना के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2009, in respect of the **DEFENCE SERVICES - AIR FORCE** under **MINISTRY OF DEFENCE**.

स्वीकृत : छः सौ दस करोड़ छत्तीस लाख उनसठ हजार तीन सौ नवासी रुपए।

Voted: Six hundred ten crore thirty-six lakh fifty-nine thousand three hundred eighty nine rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान Final Grant रुपए ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure रुपए ₹	अतिरिक्त व्यय Excess रुपए ₹
राजस्व Revenue			
स्वीकृत Voted:	12632,21,00,000	13242,57,59,389	610,36,59,389

11286,82,00,000 रुपए के मूल अनुदान को अक्टूबर 2008 में प्राप्त 1120,79,00,000 रुपए और फरवरी 2009 में प्राप्त 224,60,00,000 रुपए के पूरक अनुदान द्वारा बढ़ाया गया। 12632,21,00,000 रुपए के अन्तिम अनुदान की तुलना में वास्तविक व्यय 13242,57,59,389 रुपए था, जिसके परिणामस्वरूप 610,36,59,389 रुपए का अधिक व्यय हुआ जिसे विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। यह अधिक व्यय छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन; यात्रा भत्ता के तहत अधिक बुकिंग; बेड़े के प्रचालन रखरखाव के कतिपय महत्वपूर्ण मदों की आवश्यकता; हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के विदेशी भुगतान में विनिमय दर भिन्नता; राशन, कोयला, ईंधन और एलपीजी उपयोग करने वाले सैन्य दलों की संख्या में घट-बढ़; राशन जिंसो और एअरो टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के मूल्यों में उतार-चढ़ाव; आयुद्ध निर्माणी महानिदेशक से प्राप्त अनिश्चित आपूर्तियाँ; दो स्तरों (i) मार्च के चौथे सप्ताह और (ii) पूरक संकलन स्तर, पर मार्च 2009 माह के दौरान अत्याधिक बुकिंग के कारण हुआ।

The original grant of ₹11286,82,00,000 was augmented by a supplementary grant of ₹1120,79,00,000 obtained in October, 2008 and ₹224,60,00,000 obtained in February, 2009. Against the final grant of ₹12632,21,00,000 the actual expenditure was ₹13242,57,59,389 resulting in an excess expenditure of ₹610,36,59,389 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations; higher bookings under Travelling Allowance; emergent requirement of certain critical items of operational maintainability of fleet; exchange rate variation in foreign payment of Hindustan Aeronautics Limited (HAL); fluctuation in strength of troops drawing ration, coal, firewood and LPG; fluctuation in price of ration commodities and Aero Turbine Fuel (ATF); unconfirmed supplies received from Director General Ordnance Factories (DGOF); heavy bookings during the month of March, 2009 at two stages, (i) 4th week of March and (ii) supplementary compilations.

मांग संख्या DEMAND NO. 24

रक्षा आयुध कारखाने

DEFENCE ORDNANCE FACTORIES

रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा आयुध कारखाने के संबंध में 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2009, in respect of the **DEFENCE ORDNANCE FACTORIES** under **MINISTRY OF DEFENCE**.

स्वीकृत: एक सौ बत्तीस करोड़ चौबीस लाख सतासी हजार दो सौ अड़सठ रुपए।

Voted: One hundred thirty-two crore twenty-four lakh eighty-seven thousand two hundred sixty eight rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान Final Grant रुपए ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure रुपए ₹	अतिरिक्त व्यय Excess रुपए ₹
पूँजी Revenue			
स्वीकृत Voted:	2824,75,00,000	2956,99,87,268	132,24,87,268

1108,99,00,000 रुपए के मूल अनुदान को अक्टूबर 2008 में प्राप्त 100,00,00,000 रुपए और फरवरी 2009 में प्राप्त 1615,76,00,000 रुपए के पूरक अनुदान द्वारा बढ़ाया गया। 2824,75,00,000 रुपए के अन्तिम अनुदान की तुलना में वास्तविक व्यय 2956,99,87,268 रुपए था जिसके परिणामस्वरूप 132,24,87,268 रुपए का अधिक व्यय हुआ जिसे विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। यह अतिरिक्त व्यय फरवरी, 2009 के बाद रक्षा सुरक्षा कार्प्स; विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन; सीआरएन-91 संबंधी प्लेटफार्म के संचालन निर्गम; और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) को उच्च सप्लाई में अनुमानित से अधिक उच्च बुकिंग की वजह से हुआ।

The original grant of ₹1108,99,00,000 was augmented by a supplementary grant of ₹100,00,00,000 obtained in October, 2008 and ₹1615,76,00,000 obtained in February, 2009. Against the final grant of ₹2824,75,00,000 the actual expenditure was ₹2956,99,87,268 resulting in an excess expenditure of ₹132,24,87,268 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to higher bookings than estimated after February, 2009 in Defence Security Corps; foreign exchange rate variation; issue of operating platform for CRN-91; and higher supply to Defence Research & Development Organisation (DRDO).

मांग संख्या DEMAND NO. 39

पेंशन

PENSIONS

वित्त मंत्रालय के अधीन पेंशन के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुदान से अधिक खर्च की गई धनराशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2009, in respect of the PENSIONS under MINISTRY OF FINANCE.

स्वीकृत: एक सौ तिरसठ करोड़ अठारह लाख नौ हजार चार सौ चौबीस रुपए।

Voted: One hundred sixty-three crore eighteen lakh nine thousand four hundred twenty four rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान Final Grant रुपए ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure रुपए ₹	अतिरिक्त व्यय Excess रुपए ₹
राजस्व Revenue			
स्वीकृत Voted:	10565,93,00,000	10729,11,09,424	163,18,09,424

7930,76,00,000 रुपए के मूल अनुदान को अक्टूबर 2008 में प्राप्त 2050,00,00,000 रुपए और फरवरी 2009 में प्राप्त 585,17,00,000 रुपए के पूरक अनुदान द्वारा बढ़ाया गया। 10565,93,00,000 रुपए के अन्तिम अनुदान की तुलना में वास्तविक व्यय 10729,11,09,424 रुपए था, जिसके परिणामस्वरूप, 163,18,09,424 रुपए का अधिक व्यय हुआ जिसे विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। यह अतिरिक्त व्यय वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा बिना पूर्व जांच के मासिक पेंशन के संवितरण; प्राधिकृत बैंकों से स्कॉल की विलंबित प्राप्ति; दावों की विलंबित प्राप्ति; स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और मृत्यु के अप्रत्याशित मामलों के कारण हुआ।

The original grant of ₹7930,76,00,000 was augmented by a supplementary grant of ₹2050,00,00,000 obtained in October, 2008 and ₹585,17,00,000 obtained in February, 2009. Against the final grant of ₹10565,93,00,000 the actual expenditure was ₹10729,11,09,424 resulting in an excess expenditure of ₹163,18,09,424 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to disbursing monthly pension without any pre-check by Pay and Accounts Offices; delayed receipt of scrolls from the authorised banks; delayed receipt of claims; and unforeseen cases of voluntary retirement and death.

मांग संख्या DEMAND NO. 54

गृह मंत्रालय के अन्य व्यय

OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

गृह मंत्रालय के अधीन गृह मंत्रालय के अन्य व्यय के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुदान से अधिक खर्च की गई धनराशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2009, in respect of the **OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS** under **MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

भारित: उनसी करोड़ उनतालीस लाख बाईस हजार नौ सौ उनतीस रुपए।

Voted: Seventy-nine crore thirty-nine lakh twenty-two thousand nine hundred twenty nine rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान Final Grant रुपए ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure रुपए ₹	अतिरिक्त व्यय Excess रुपए ₹
राजस्व Revenue			
स्वीकृत Voted :	1437,58,00,000	1516,97,22,929	79,39,22,929

999,03,00,000 रुपए के मूल अनुदान को अक्टूबर 2008 में प्राप्त 84,35,00,000 रुपए और फरवरी 2009 में प्राप्त 354,20,00,000 रुपए के पूरक अनुदान द्वारा बढ़ाया गया। 1437,58,00,000 रुपए के अन्तिम अनुदान की तुलना में वास्तविक व्यय 1516,97,22,929 रुपए था, जिसके परिणामस्वरूप, 79,39,22,929 रुपए का अधिक व्यय हुआ जिसे विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। यह अधिक व्यय पाक-अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के दावों के निपटान (47.00 करोड़ रुपए); स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत वर्धित महंगाई राहत भुगतान (109.73 करोड़ रुपए); तथा जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव में सुरक्षा संबंधी व्यय (29.99 करोड़ रुपए) की वजह से हुआ। 79.39 करोड़ रुपए (पूर्णांकित) का यह अतिरिक्त व्यय 186.91 करोड़ रुपए (पूर्णांकित) के कुल अतिरिक्त व्यय का निवल प्रभाव था जिसे अनुदान के विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत 107.52 करोड़ रुपए (पूर्णांकित) की बचतों द्वारा आंशिक रूप से समंजित किया गया।

The original grant of ₹999,03,00,000 was augmented by a supplementary grant of ₹84,35,00,000 obtained in October, 2008 and ₹354,20,00,000 obtained in February, 2009. Against the final grant of ₹1437,58,00,000 the actual expenditure was ₹1516,97,22,929 resulting in an excess expenditure of ₹79,39,22,929 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to settlement of claims of displaced persons from Pak-occupied Kashmir (₹47.00 crore); increased Dearness Relief payment under Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme (₹109.73 crore); and security related expenditure (₹29.99 crore) on Assembly Elections in the State of Jammu & Kashmir. The excess of ₹79.39 crore (rounded) was the net effect of total excess of ₹186.91 crore (rounded) which was partially set off by savings of ₹107.52 crore (rounded) under various sub heads of the Grant.